संख्या-15 /2024/339/2024-30-1099-292-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तहर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढीकरण के अन्तर्गत बस फ्लीट हेतु बसों के क्रय के लिये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-33/मु0प्र0प्र0(प्रावि)/पीएस/कैम्प/24, दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढीकरण के अन्तर्गत बस फ्लीट हेतु बसों के क्रय के लिये प्राविधानित परियोजना की सम्पूर्ण लागत ₹400.00 करोड़ के सापेक्ष शासनादेश संख्या-30/2023/2209/तीस-1-2023-1099 292 2022, दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि ₹200.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या- 33/2023/2502/001-30-1099-292-2022, दिनांक 05.12.2023 का उपभोग कर लिये जाने के पश्चात वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुपूरक बजट के रूप में व्यवस्थित धनराशि रू0 ₹10000.00 लाख (रूपये एक सौ करोड़) की स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत बस फ्लीट हेतु डीजल बसों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुपूरक बजट के रूप में व्यवस्थित धनराशि रू0 ₹10000.00 लाख (रूपये एक सौ करोड़) के सापेक्ष तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में ₹ 100.00 करोड़ (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं जहाँ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहाँ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नित्रंयण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त/परिवहन निगम का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा सुसंगत वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों का तथा क्रियान्वयन के संबंध में संगत पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों/ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वांछित पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त किये जाने तथा पर्यावरणीय नियमों एवं मा0 न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चत किया जाये।

(11) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 30/2023/2209/तीस-1-2023-1099 292 2022, दिनांक 29.09.2023 एवं शासनादेश संख्या- 33/2023/2502/001-30-1099-292-2022, दिनांक 05.12.2023 के अनुरूप यथावत रहेंगी, किन्तु शासनादेश संख्या- 33/2023/2502/001-30-1099-292-2022, दिनांक 05.12.2023 द्वारा धनराशि रू0 200.00 करोड़ को द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप अवमुक्त किये जाने के स्थान पर मात्र द्वितीय किश्त के रूप अवमुक्त किया गया समझा जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-9-578-X-2023-24- दिनांक: 15-3-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-15 /2024/339(1)/2024-30-1099-292-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
7. नियोजन अनुभाग-4 ।
8. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।